न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री नरेन्द्र कुमार मीना , आर ए एस

वाद संख्या :- 92/2014 पुनःदर्ज 09/2019

उनवान

1 अर्जुन लाल पुत्र भूरा जाति जाट निवासी ढाणी बडहाली वार्ड नं0 3 शाहपुरा तहसील शाहपुरा

वादीगण

बनाम

1मुरली पुत्र भूरा (दौराने वाद मृतक)

1/1 ग्यारसीलाल पुत्र मूरली
1/2 रामनारायण पुत्र मुरली
1/3 गणपत पुत्र मुरली
1/4 फूली पुत्री मुरली

2 श्रीमती सोनी देवी पत्नि रूघनाथ
3 गिरधारी
4 सीताराम
5 भागीरथ
} पि0 रूघनाथ

6 कोयली देवी पत्नि रोहिताश
7 विक्रम
8 अनीशा
9 मनीषा
} पि0 रोहिताश नाबालिकान जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता कोयली देवी पत्नि रोहिताश

समस्त जाति जाट निवासी ढाणी बडहाली वार्ड नं0 3 शाहपुरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर टी ए व स्थायी निषेधाज्ञा

आदेश दिनांक 19.03.2019

उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद संक्षेप में इस प्रकार है। वादी के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1696, 1829, 1831, 1832, 1834, 1835 कुल किता 6 रकबा 2.10 है0वाके ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा जो कि वादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं0 1 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 2लगायत 9 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजी के बंटवारा हेतु वाद पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया । इस न्यायालय के द्वारा वाद पत्र को विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी कर तथा सुनवाई की जाकर दिनांक 7.7.2014 को प्राथमिक डिकी जारी कर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 5.9.2014 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.6.2018 के द्वारा अन्तिम डिकी जारी कर पक्षकारान के मध्य बंटवारा किया गया ।

वादी अर्जुनलाल द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.6.2018 के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां अपील की गई जिसके आदेश 01.01.2019 के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.6.2018 को निरस्त कर प्रकरण में विलम्ब नहीं होने की

1/3 गनपत पुत्र मुरली
1/4 फूली पुत्री मुरली
2 श्रीमती सोनी देवी पत्नि रुघनाथ
3 गिरधारी
4 सीताराम } पि0 रुधनाथ
5 नानीराम
6 कोयली देवी पत्नि रोहिताश
7 विक्रम
8 अनीश } पि0 रोहिताश नाबालिकान जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता कोयली देवी पत्नि रोहिताश
9 मनीषा
समस्त जाति जाट निवासी ढाणी बडहाली वार्ड नं0 3 शाहपुरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर टी ए व स्थायी निषेधाज्ञा

आदेश दिनांक 19.03.2019

उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद संक्षेप में इस प्रकार है। वादी के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1696, 1829, 1831, 1832, 1834, 1835 कुल किता 6 रकबा 2.10 है0वाके ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा जो कि वादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं0 1 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 2लगायत 9 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजी के बंटवारा हेतु वाद पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया । इस न्यायालय के द्वारा वाद पत्र को विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी कर तथा सुनवाई की जाकर दिनांक 7.7.2014 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 5.9.2014 को कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.6.2018 के द्वारा अन्तिम डिक्री जारी कर पक्षकारान के मध्य बंटवारा किया गया ।

वादी अर्जुनलाल द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.6.2018 के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां अपील की गई जिसके आदेश 01.01.2019 के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.6.2018 को निरस्त कर प्रकरण में विलम्ब नहीं होने की मंशा को मध्य नजर रखते हुए पक्षकारान को मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबन्द करते हुए प्रकरण पुनः इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि तहसीलदार स्वंय द्वारा उभय पक्ष की मौजूदगी में कुर्रेजात प्रस्ताव कब्जे काश्त के अनुसार तैयार किये जावे तथा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणवगुण पर निर्णय पारित करें । माननीय न्यायालय से प्रकरण प्राप्त होने पर तहसीलदार शाहपुरा

अधिकारी
राजस्थान

को उभय पक्ष की मौजूदगी में कुर्रेजात प्रस्ताव कब्जा/कास्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया । तहसीलदार शाहपुरा से कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक 25.1.2019 को प्राप्त होने पर उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया ।

वादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने उक्त कुर्रेजात प्रस्ताव पर आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 6.2.2019 को प्रस्तुत किया कि दिनांक 21.01.2019 को आराजी मुतनाजा के मौके पर उपस्थित होने बाबत कोई सूचना तहसीलदार द्वारा नहीं दी गई तथा बंटवारा प्रस्ताव में माननीय न्यायालय के आदेश के विपरीत कुर्रेजात रिपोर्ट को गलत रूप से विभाजन का आधार बनाकर वादी के कब्जे से हटकर पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गयी है जो कि रिकार्ड से अलग किये जाने योग्य है। वकील वादी ने आपत्ति की कि ख0नं0 1831 व 1832 वादी एवं प्रतिवादीगण के पुराने मकानात आदि बने हुये है तथा 1834 में करीब 6 एयर जमीन पर शामलाती मकान व आबादी भूमि है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है जबकि कुर्रेजात मे जो हिस्सा दिया गया है गलत है आबादी भूमि में वादी को 1/3 हिस्सा दिया जाना चाहिये । वकील वादी ने आपत्ति जाहिर की कि रास्ते के लगते हुए ख0नं0 1834, 1835 में 1/3 हिस्से से 0.18 है0 भूमि आनी चाहिए थी लेकिन वादी को एक ही ख0नं0 1834/1 व 1834/2 कुल 0.14 है0 ही भूमि कुर्रेजात रिपोर्ट में दी गई है तथा ख0नं0 1839 में प्रतिवादी मुरली को कोई भूमि बंटवारा में नहीं दी है। हाल ख0नं 1829/2 के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक ही रास्ता काटकर हाल ख0नं0 1829/3 कायम किया गया है, वह भी गलत है यह रास्ता खनं0 1829 की दक्षिणी सीमा तक होकर इसका रकबा 0.02 है0 के बजाय 0.03है0 होना चाहिये था । प्रतिवादी सोनी को ख0नं0 1696 को कोई भूमि बंटवारे में नहीं दी गई है। अन्त में प्रार्थी/वादी ने आपत्ति में कथन किया कि माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के विपरीत होने से कुर्रेजात रिपोर्ट निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभय पक्ष को सुना गया । विद्वान वकील प्रतिवादी ने आपत्ति रिपोर्ट पर सीधे ही बहस की गई । विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया । वकील प्रतिवादी ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए अपनी बहस में दलील दी कि उभय पक्ष की ढाणी मौके पर ही है तथा उभय पक्ष को तहसीलदार शाहपुरा द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट बनाने की जानकारी दी गई थी । तहसीलदार शाहपुरा द्वारा तैयार की गई बंटवारा प्रस्ताव नियमानुसार तथा कब्जे कास्त को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जो सही है।वकील वादी की यह आपत्ति की सोनी देवी वगैरह के हिस्से में कुर्रेजात में दर्शाये गये हिस्से के सम्बन्ध में वकील प्रतिवादी ने बहस कि पक्षकारान को इसमें कोई आपत्ति नहीं है बल्कि उनके कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार शाहपुरा द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है जो सही है । हमने कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया । पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जे काश्त को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर आपत्ति प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को एवं खातेदारान के दर्ज हिस्से को मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में आंशिक संशोधन किया जाकर खातेदारान के मध्य निम्नांनुसार बंटवारा किया जाता है।

1. प्रतिवादी सं0 1 मुरली पुत्र भूरा जाति जाट सा0देह खातेदार के (मृतक) के वारिसान प्रतिवादी सं0 1/1 से 1/4 ग्यारसीलाल, रामनारायण, गणपत पि0 मुरली व फूली पुत्री मुरली कौम जाट सा0 देह के नाम खनं0 1696/2 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 1835/2 रकबा 0.05 है0,ख0नं0 1834/2 रकबा 0.11 है0 कुल किता 3 रकबा 0.66 है0 भूमि हिस्से में रहेगी ।

2 वादी अर्जुन पुत्र भूराराम कौम जाट सा0 देह खातेदार के नाम 1696/1 रकबा 0.25 है0, 1829/1 रकबा 0.25 है0, 1834/1 रकबा 0.13 है0, 1834/4 रकबा 0.03 है0 कुल किता 4 रकबा 0.66 है0 रहिन ओ बी सी बैंक शाखा शाहपुरा मुर्तहीन हिस्से मे रहेगी ।

3 प्रतिवादी सं0 2 लगा0 5 व 6 लगा0 9 सोनी पत्नि रूघनाथ हि0 1/5 गिरधारीलाल,सीताराम भागीरथ पि0 रूघनाथ हि0 3/5, कोयली देवी पत्नि स्व0 रोहिताश, विकम पुत्र रोहिताश, अनिषा,

बजाय 0.03है0 होना चाहिये था । प्रतिवादी सोनी को ख0नं0 1696 को कोई भूमि बंटवारे में नहीं दी गई है। अन्त में प्रार्थी/वादी ने आपत्ति में कथन किया कि माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के विपरीत होने से कुर्रेजात रिपोर्ट निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभय पक्ष को सुना गया । विद्वान वकील प्रतिवादी ने आपत्ति रिपोर्ट पर सीधे ही बहस की गई । विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया । वकील प्रतिवादी ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए अपनी बहस में दलील दी कि उभय पक्ष की ढाणी मौके पर ही है तथा उभय पक्ष को तहसीलदार शाहपुरा द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट बनाने की जानकारी दी गई थी । तहसीलदार शाहपुरा द्वारा तैयार की गई बंटवारा प्रस्ताव नियमानुसार तथा कब्जे कास्त को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जो सही है।वकील वादी की यह आपत्ति की सोनी देवी वगैरह के हिस्से में कुर्रेजात में दर्शाये गये हिस्से के सम्बन्ध में वकील प्रतिवादी ने बहस कि पक्षकारान को इसमें कोई आपत्ति नहीं है बल्कि उनके कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार शाहपुरा द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है जो सही है । हमने कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया । पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जे काश्त को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर आपत्ति प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को एवं खातेदारान के दर्ज हिस्से को मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में आंशिक संशोधन किया जाकर खातेदारान के मध्य निम्नांनुसार बंटवारा किया जाता है।

1. प्रतिवादी सं0 1 मुरली पुत्र भूरा जाति जाट सा0देह खातेदार के (मृतक) के वारिसान प्रतिवादी सं0 1/1 से 1/4 ग्यारसीलाल, रामनारायण, गणपत पि0 मुरली व फूली पुत्री मुरली कौम जाट सा0 देह के नाम खनं0 1696/2 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 1835/2 रकबा 0.05 है0,ख0नं0 1834/2 रकबा 0.11 है0 कुल किता 3 रकबा 0.66 है0 भूमि हिस्से में रहेगी ।

2 वादी अर्जुन पुत्र भूराराम कौम जाट सा0 देह खातेदार के नाम 1696/1 रकबा 0.25 है0, 1829/1 रकबा 0.25 है0, 1834/1 रकबा 0.13 है0, 1834/4 रकबा 0.03 है0 कुल किता 4 रकबा 0.66 है0 रहिन ओ बी सी बैंक शाखा शाहपुरा मुर्तहीन हिस्से मे रहेगी ।

3 प्रतिवादी सं0 2 लगा0 5 व 6 लगा0 9 सोनी पत्नि रूधनाथ हि0 1/5 गिरधारीलाल,सीताराम भागीरथ पि0 रूघनाथ हि0 3/5, कोयली देवी पत्नि स्व0 रोहिताश, विक्रम पुत्र रोहिताश, अनिषा, मनीषा पुत्रीयान रोहिताश ना0बा0संरक्षिका माता कोयली पत्नि स्व0 रोहिताश हि0 1/5 कौम जाट सा0 देह के नाम ख0नं0 1829/2 रकबा 0.48 है0, 1835/1 रकबा 0.18 है0 कुल किता 2 रकबा 0.66 है0 भूमि हिस्से मे रहेगी ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

4 मुरली पुत्र भूरा जाति जाट सा0देह खातेदार के (मृतक) के वारिसान प्रतिवादी सं0 1/1 से 1/4 ग्यारसीलाल, रामनारायण, गणपत पि0 मुरली व फूली पुत्री मुरली हि0 1/3 अर्जुन पुत्र भूरा हि0 1/3 रहिन रहिन ओ बी सी बैंक शाखा शाहपुरा सोनी पत्नि रूधनाथ गिरधारीलाल,सीताराम भागीरथ पि0 रूघनाथ हि0 4/15, कोयली देवी पत्नि स्व0 रोहिताश, विकम पुत्र रोहिताश, अनिषा, मनीषा पुत्रीयान रोहिताश ना0बा0संरक्षिका माता कोयली पत्नि स्व0 रोहिताश कौम जाट हि0 1/15 सा0 देह खातेदार के नाम 1829/3 रकबा 0.02 है0, 1831/1 रकबा 0.01 है0, 1831/2 रकबा 0.03 है0, 1832 रकबा 0.02 है0, 1834/3 रकबा 0.01 है0 1835/3 रकबा 0.03 है0 कुल किता 6 रकबा 0.12 है0 भूमि शामलाती हिस्से में रहेगी ।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा । पक्षकारान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा नहीं करें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे । पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर